



>kj [k.M I j dkj

>kj [k.M de]pkjh p; u vk; ksx]  
dkyhuxj] pk; cxku] ukedke] jkph&834010-  
b&esy&jharkhand\_ssc@rediffmail.com

>kj [k.M vkj {kh Áfr; kfxrk i jh{kk & 2015

WP(S) 331/17 T; kfr de]pkjh , oa vU; cuke >kj [k.M jkT; , oa vU; rFkk I n"; oknka ea  
ekuuh; >kj [k.M mPp U; k; ky; }kjk fnu&18-12-2017 dks i kfjr U; k; kns k ds vuq kyu  
ds I cdk ea

WP(S) 331/17 ज्योति कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा सदृश्यवादों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-18.12.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों की अनुशंसा उनके द्वारा आवेदित जिला/झारखण्ड सशस्त्र पुलिस के पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक को भेज दी गयी है:-

Roll No.	Distt
231090045	Chatra
235090161	Chatra
218040961	Garhwa
218040466	Garhwa
218040841	Garhwa
249120399	Garhwa
247120356	Garhwa
218040535	Garhwa
228090124	Giridih
227090204	Giridih
225090486	Hazaribagh
228090280	Hazaribagh
221090568	JAP
252120070	JAP
220091170	JAP
230090490	JAP
227090146	Koderma
246120053	Latehar
247120383	Palamu
235090482	Ramgarh

अनुशंसित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूलप्रति, एक – एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ तथा हाल में खींचा गया दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर अपने आवेदित जिला/झारखण्ड सशस्त्र पुलिस के पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक के कार्यालय में अविलंब प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए उपस्थित हों:-

I. मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति)

II. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए

(क) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए) प्रासंगिक परीक्षा के विवरणिका के परिशिष्ट –I के प्रपत्र में (मूल प्रति)– सिर्फ अनारक्षित श्रेणी के महिलाओं के लिए।

(ख) जाति प्रमाण पत्र प्रासंगिक परीक्षा के विवरणिका के परिशिष्ट –II के प्रपत्र में (मूल प्रति)

(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए दिनांक-31.03.2015 के पश्चात निर्गत विवरणिका के परिशिष्ट –III के प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(घ) गृह रक्षक के रूप में झारखण्ड राज्य का पंजीकरण तथा छः माह की सक्रिय सेवा पूर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र– सिर्फ गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए

जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिये) जिला के उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए।

g0@&

i jh{kk fu; ÆdA